



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-2118/MRLY/2/2025-RO-RPR/RU-I(RU-IV)

दिनांक: 16/06/2025

1. **महाप्रबंधक**
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
मुख्यालय कार्मिक प्रभाग बिलासपुर,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495004
Email Id: gm@secre.railnet.gov.in

2. **मंडल रेल प्रबंधक,**
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
श्रीनगर, रायपुर,
छत्तीसगढ़ 492014
Email Id: drm@r.railnet.gov.in

विषय: अभ्यावेदक श्री चंद्रभान सिंह, सहायक मंडल अभियंता/ कार्य/ रायपुर, द. पू. म. रेलवे, कार्यालय रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन " श्री गौरव गाजरानी, वरिष्ठ मण्डल अभियंता/2/द.पू.म.रेलवे/रायपुर के द्वारा आवेदक के साथ दुर्यवहार एवं मानसिक प्रताड़ना दिए जाने" के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री चंद्रभान सिंह,
सहायक मंडल अभियंता /कार्य/ रायपुर,
द.पू.म. रेलवे, कार्यालय,
रायपुर-492014,
(छत्तीसगढ़)

(i) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-2118/MRLY /2/2025-RO-RPR/ RU-I

श्री गौरव गाजरनी, वरिष्ठ मण्डल अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर के द्वारा दुर्व्यवहार एवं मानसिक प्रताड़ना दिये जाने के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह, सहायक मण्डल अभियंता /कार्य/रायपुर/द.पू.म. रेल्वे की शिकायत दिनांक 19.03.2025 के मामले में दिनांक 30.05.2025 को 12:20 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि : 30.05.2025 को 12:20 बजे।
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

1. अभ्यावेदक श्री चंद्रभान सिंह सहायक मण्डल अभियंता /कार्य/रायपुर/ द.पू.म. रेल्वे की शिकायत दिनांक 01.04.2025 को आयोग को प्राप्त हुई है। शिकायत में उन्होंने बताया है कि उन्होने 14.08.2024 को सहायक मण्डल अभियंता /कार्य/रायपुर का पदभार ग्रहण किया था। इसके तदुपरान्त ही श्री गौरव गाजरनी के द्वारा अनावश्यक ही लगातार दुर्व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया गया। 102 दिनों के CL (आकस्मिक अवकाश) के लिए इनहोने 09.10.2024 को आवेदन किया था जिसे श्री गौरव गाजरनी द्वारा स्वीकृति देने से मना कर दिया गया और कहा गया की किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए एक सप्ताह पहले आवेदन किया जाना है लेकिन दिनांक 15.10.2024 को उन्होने ये अवकाश स्वीकृत भी कर दिया। इसके उपरांत 23.12.2024 को पुनः आवेदन किया गया जिसको स्वीकृत करने से श्री गौरव गजरानी ने मना कर दिया। इससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना का अनुभव हुआ। 28.01.2025 को साइट निरीक्षण के दौरान भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दुर्भावना से प्रेरित होकर इनका स्थानांतरण ही करवा दिया गया।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मुख्यालय, कार्मिक प्रभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, श्रीनगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 01.04.2025 को नोटिस जारी किया गया। आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर में संबंधित कार्यालय से दिनांक 28.04.2025 को उत्तर/रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसकी छायाप्रति सूचनार्थ शिकायतकर्ता को प्रेषित की गई।

3. "मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मुख्यालय, कार्मिक प्रभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, श्रीनगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ की आयोग के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सुनवाई (सिटिंग) निर्धारित की गई, जिसके अनुपालन में सभी संबंधित अधिकारियों को सिटिंग पत्र निर्गत किए गए।

4. सुनवाई के दौरान मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम), प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (पीसीपीओ), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर; उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (आईआर एवं आरपी), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर तथा मुख्य विधि सहायक उपस्थित थे। शिकायतकर्ता भी सुनवाई में उपस्थित रहे।

5. प्रकरण पर सुनवाई के उपरान्त आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाएँ की जाती हैं :-

- (i) शिकायतकर्ता ने अपनी वर्तमान पदस्थापना पर सहमति व्यक्त की है, परंतु साथ ही यह भी निवेदन किया है कि बार-बार किए जा रहे स्थानांतरणों के कारण उन्हें मानसिक व कार्यस्थल संबंधी प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। अतः यह अपेक्षित है कि उनके स्थानांतरण को बार-बार न किया जाए और सेवा शर्तों की मर्यादा में स्थायित्व सुनिश्चित किया जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2025
(डॉ. आशा लकड़ा)

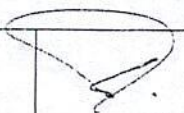
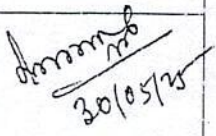
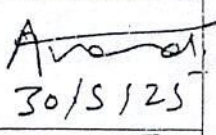
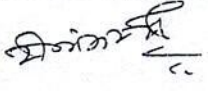
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-2118/MRLY/2/2025-RO-RPR/RU-I

Sitting to be held on **30.05.2025** at **12:20 P.M.**- अभ्यावेदक श्री चंद्रभान सिंह, सहायक मंडल अभियंता/ कार्य/ रायपुर, द. पू. म. रेलवे, कार्यालय रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन " श्री गौरव गाजरानी, वरिष्ठ मण्डल अभियंता/2/द.पू.म.रेलवे/रायपुर के द्वारा आवेदक के साथ दुर्व्यवहार एवं मानसिक प्रताड़ना दिए जाने" के संबंध में।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	Officers from O/o General Manager, South East Central Railway and Officers from O/o Divisional Railway Manager, South East Central Railway		
1.	DAYANAND	DRM/ R.	
2.	ADITYA KUMAR	PCPO/SECR BILASPUR	
3.	D.C. MANDAL	Dy. CPO (IR&RD) SEC. Railway Bilaspur	 30/5/25
4.	ANAND KU. PANDE	Chief Law Assistant	 30/5/25
5.	ए. शिखर शर्मा	मुख्य कार्यपालक निर्वाहक	
6.			
III	Petitioners		